



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269327  
CG-DL-E-13012026-269327

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]  
No. 178]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSA 23, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय  
अधिसूचना संशोधन

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026

का.आ. 188(अ).—भारत में ऑटोमोबिल एवं ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो), जो का.आ. 3946(अ) दिनांक 23 सितंबर 2021 के तहत अधिसूचित की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, इसके आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होने वाले निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

- पीएलआई-ऑटो स्कीम अधिसूचना का.आ. 3946(अ) दिनांक 23 सितंबर 2021 के उप-पैरा 3.3.2.3 (VIII) के अंतर्गत तालिका 1 में यथोल्लिखित 'टिप्पणी:- i' में वर्णित बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निष्पादन मानदंड को संशोधित किया जाएगा तथा इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
केवल वे बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे, जो फेम-II स्कीम के प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करते हैं या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं।	केवल वही बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे, जो नीचे दी गई तालिका 1क के अनुसार निर्धारित निष्पादन मानदंडों को पूरा करते हों।

## तालिका 1क: बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) की पात्रता के लिए निष्पादन मानदंड

क्र. सं.	बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) की श्रेणी	वाहन का प्रकार/वर्गीकरण	लागू निष्पादन मानदंड / संदर्भ अधिसूचना
1	बैटरी इलेक्ट्रिक दुपहिया	एल1 / एल 2	पीएम ई-ड्राइव स्कीम अधिसूचना का.आ. 4259(अ) दिनांक 29.09.2024 के अनुलग्नक-3 के अनुसार
2	बैटरी इलेक्ट्रिक तिपहिया	एल 5एम / एल5एन	
3	बैटरी इलेक्ट्रिक चौपहिया (ई-बसें) – लंबाई 12 मीटर तक	एम 3	
4	बैटरी इलेक्ट्रिक चौपहिया (ई-बसें) – लंबाई 12 मीटर से अधिक	एम 3	9 मीटर से अधिक तथा 12 मीटर तक की लंबाई वाले ई-बसों के समान ही मानदंड लागू होंगे, पीएम ई-ड्राइव स्कीम की अधिसूचना का.आ. 4259(अ) दिनांक 29.09.2024 के अनुलग्नक-3 के अनुसार।
5	बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रक	एन2 / एन3	पीएम ई-ड्राइव स्कीम अधिसूचना का.आ. 3081(अ) दिनांक 10.07.2025 के अनुलग्नक-3 के अनुसार।
6	बैटरी इलेक्ट्रिक चौपहिया (ई-चौपहिया)	एम1 / एम2 / एन1	एफएएमई-II स्कीम के निष्पादन मानदंडों के अनुसार, जो का.आ. 1472(अ) दिनांक 28.03.2019 के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे तथा 29.10.2019 को संशोधित किए गए थे।
7	बैटरी इलेक्ट्रिक क्लाइंसाइकिल	एल7एम / एल7एन	नीचे दिए गए परिशिष्ट-1 की तालिका-1 के अनुसार।

2. (i) पीएलआई-ओटो स्कीम दिशानिर्देश का.आ. 3947(अ) दिनांक 23 सितंबर 2021, (ii) का.आ. संख्या 4632(अ) दिनांक 9 नवंबर 2021, और (iii) किसी अन्य पीएलआई-ओटो स्कीम दस्तावेज़ में निष्पादन मानदंडों के सभी संदर्भ ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित संशोधित मानदंडों द्वारा अधिक्रमित होंगे और संशोधित माने जाएंगे।

[फा. सं. 12(11)/2020-ईआई (पार्ट-1)-पार्ट(1) (29343)]

डॉ. हनीफ कुरैशी, अपर सचिव

## परिशिष्ट -1

## तालिका-1: पीएलआई-ऑटो स्कीम के अंतर्गत बैटरी इलेक्ट्रिक क्लाइंसाइकिल के लिए निष्पादन मानदंड\*1

क्र.सं.	वाहन खंड *2	वाहन श्रेणी*3	वाहन मॉडल पात्रता मानदंड	न्यूनतम रेंज *4	अधिकतम विद्युत ऊर्जा खपत *5	न्यूनतम अधिकतम गति *6	न्यूनतम त्वरण *6 (मी/सेकंड <sup>2</sup> )
1	बैटरी इलेक्ट्रिक क्लाइंसाइकिल	एल7एम और एल7एन	80	12 से कम	40	0.65	

## पाद टिप्पणी (\*):

- निष्पादन एवं दक्षता पात्रता मानदंडों का परीक्षण भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में अनिवार्य रूप से 'इलेक्ट्रिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम' लगा होगा।
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के तहत यथा परिभाषित।
- सीएमवीआर, 1989 में उल्लिखित लागू परीक्षण मानक/प्रक्रिया के अनुसार।
- सभी बीईवी के लिए विद्युत ऊर्जा खपत माप एआईएस 039 के अनुसार, जैसा कि लागू हो और सीएमवीआर 1989 में अधिसूचित हो तथा समय-समय पर संशोधित किया गया हो, किया जाएगा। ऊर्जा खपत को निम्नलिखित तरीके से मापा जाएगा।
  - ऑफ-बोर्ड डीसी चार्जर: चार्जर के बाद और चार्जर तथा वाहन के बीच।
  - ऑन-बोर्ड चार्जर/पोर्टेबल चार्जर (वाहन के साथ आपूर्ति किया गया): बिजली के मेन आउटलेट और ऑन-बोर्ड चार्जर/पोर्टेबल चार्जर के बीच।
  - परीक्षण रिपोर्ट में संबंधित वाहन श्रेणियों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य की तुलना में मापा गया मान निर्दिष्ट किया जाएगा।
- न्यूनतम और अधिकतम गति (किमी/घंटा) तथा न्यूनतम त्वरण (मी/सेकंड<sup>2</sup>) के मापन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:
  - वाहन निर्माता (ओईएम) द्वारा यथा घोषित सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) स्थिति में चेसिस डायनेमोमीटर पर मापन किया जाएगा। डायनेमोमीटर की सेटिंग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/सीएमवीआर/टीएपी/115-116 दस्तावेज़ या एआईएस 137 में यथा निर्धारित होगी, जैसा कि लागू हो और समय-समय पर संशोधित किया गया है।
  - परीक्षण वाहन सीएमवीआर के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू ड्राइविंग चक्र के आधार पर (सहनशीलता के भीतर) ड्राइविंग चक्र को नेविगेट करने में सक्षम होगा, ताकि संबंधित वाहन श्रेणी के लिए न्यूनतम-अधिकतम गति और न्यूनतम त्वरण की अपेक्षाओं को सुनिश्चित किया जा सके।
  - परीक्षण वाहन को लगातार 3 ड्राइविंग चक्रों के लिए चलाया जाएगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि यह दोहराव योग्य है और ड्राइविंग चक्र की अधिकतम गति और त्वरण अपेक्षा को पूरा करता है। अनुपालन अपेक्षाओं के सत्यापन के लिए अधिकतम गति और त्वरण के मापे गए डेटा का उपयोग किया जाएगा।
  - वैकल्पिक रूप से, परीक्षण एजेंसी और वाहन निर्माता (ओईएम) के बीच आपसी समझौते के अनुसार परीक्षण ट्रैक पर परीक्षण किया जा सकता है। परीक्षण वाहन को कम से कम 2 मिनट तक चलाया जाएगा ताकि वाहन गर्म हो सके और कम से कम 3 मिनट तक न्यूनतम अधिकतम गति और न्यूनतम त्वरण को मापा जा सके।
  - परीक्षण के दौरान, बैटरी की चार्ज स्थिति 40% - 60% के बीच होगी।

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES**  
**NOTIFICATION AMENDMENT**

New Delhi, the 13th January, 2026

**S.O. 188(E).**— In partial modification of the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Components Industry in India (PLI-Auto) notified vide S.O. 3946(E) dated 23<sup>rd</sup> September 2021, the following amendments are made with effect from the date of its publication in the Official Gazette:

1. Performance Criteria for Battery Electric Vehicles as mentioned at 'Note:- i' under 'Table 1' of sub-paragraph '3.3.2.3 (VIII)' of the PLI-Auto Scheme notification S.O. 3946(E) dated 23<sup>rd</sup> September 2021 shall be modified and read as under:

<b>Existing Para</b>	<b>Amended Para</b>
Only those Battery Electric Vehicles will be eligible for incentives which meet the performance criteria of FAME-II scheme or as notified from time to time by MHI.	Only those Battery Electric Vehicles will be eligible for incentives which meet the performance criteria as per Table 1A below.

**Table 1A: Performance Criteria for Eligibility of Battery Electric Vehicles (BEVs)**

<b>S. No.</b>	<b>Category of Battery Electric Vehicle (BEV)</b>	<b>Vehicle Type / Classification</b>	<b>Applicable Performance Criteria / Reference Notification</b>
1	Battery Electric Two-Wheeler	L1 / L2	As per Annexure-3 of PM E-DRIVE Scheme Notification S.O. 4259(E) dated 29.09.2024
2	Battery Electric Three-Wheeler	L5M / L5N	
3	Battery Electric Four-Wheeler (e-Buses) – length up to 12 m	M3	
4	Battery Electric Four-Wheeler (e-Buses) – length more than 12 m	M3	Same as for e-buses with length above 9 m and up to 12 m, as per Annexure-3 of PM E-DRIVE Scheme Notification S.O. 4259(E) dated 29.09.2024
5	Battery Electric Truck	N2 / N3	As per Annexure-3A of PM E-DRIVE Scheme Notification S.O. 3081(E) dated 10.07.2025
6	Battery Electric Four-Wheeler (e-4W)	M1 / M2 / N1	As per performance criteria of FAME-II Scheme notified vide S.O. 1472(E) dated 28.03.2019 and amended on 29.10.2019
7	Battery Electric Quadricycle	L7M / L7N	As per Table-1 of Appendix-1 below

2. All references to Performance Criteria in the (i) PLI-Auto scheme Guidelines S.O. 3947(E) dated 23<sup>rd</sup> September 2021, (ii) S.O. No. 4632(E) dated 9<sup>th</sup> November 2021, and (iii) any other PLI-Auto scheme documents, shall be superseded by and stand modified as per the amended criteria mentioned at para 1 above.

[F. No. 12(11)/2020-AEI(Part-1)-Part(1) (29343)]

Dr. HANIF QURESHI, Addl. Secy.

**Table-1: Performance Criteria for Battery Electric Quadricycles under PLI-Auto Scheme\*<sup>1</sup>**

Sr. No.	Vehicle Segment <sup>*2</sup>	Vehicle Category <sup>*3</sup>	Vehicle Model Eligibility Criteria			
			Minimum Range <sup>*4</sup> (km)	Maximum Electric Energy Consumption <sup>*5</sup> (kWh/100 km)	Minimum Max Speed <sup>*6</sup> (km / h)	Minimum Acceleration <sup>*6</sup> (m/s <sup>2</sup> )
1	Battery Electric Quadricycle	L7M & L7N	80	Less than 12	40	0.65

**Foot Note (\*):**

1. Performance & Efficiency Eligibility criteria will be tested by testing agencies of MHI.
2. All Electrical vehicles shall necessarily be equipped with 'Electric Regenerative Braking System'.
3. As defined under the Central Motor Vehicles Rules (CMVR), 1989.
4. As per applicable test standard / procedure mentioned in CMVR, 1989.
5. The electrical energy consumption measurements shall be done for all the BEVs as per AIS 039, as applicable and notified in CMVR 1989 and as amended from time to time. Energy consumption shall be measured as follows.
  - a. Off-board DC charger: After the charger and in between charger and vehicle.
  - b. On-board charger/ Portable charger (supplied with vehicle): Between electricity mains outlet and on-board charger/ Portable charger.
  - c. The test report shall specify the measured value in comparison with the target specified for relevant vehicle categories.
6. The procedure for measurement of minimum maximum speed (km/h) and minimum acceleration (m/s<sup>2</sup>) shall be as follows:
  - a. Measurement shall be carried out in Gross Vehicle Weight (GVW) condition, as declared by the vehicle manufacturer (OEM), on Chassis Dynamometer. Dynamometer setting shall be as prescribed in the MoRTH/CMVR/TAP/115-116 document or AIS 137, as applicable and amended from time to time.
  - b. The test vehicle shall be able to navigate the driving cycle (within the tolerance) based on the driving cycle, as applicable for EVs as per CMVR, to ascertain the requirements of minimum-maximum speed and minimum acceleration for the respective vehicle category.
  - c. The test vehicle shall be run for 3 consecutive driving cycles to verify repeatability and meeting maximum speed and acceleration requirement of driving cycle. Measured data of maximum speed and acceleration will be taken for verifying compliance requirement.
  - d. Alternatively, the test may be carried on test track as per mutual agreement between the test agency and the vehicle manufacturer (OEM). Test vehicle shall be driven for at least 2 minutes for warm-up of vehicle and at least 3 minutes for measurement of minimum maximum speed and minimum acceleration.
  - e. During the test, the battery state of charge shall be within 40% - 60%.